ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 270-271

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बिहार पर प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ0 प्रियंका सिन्हा

अध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, आर०पी०एस० कॉलेज, हरनौत (बिहार) भारत

Received-13.12.2023, Revised-20.12.2023, Accepted-25.12.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***सर्वविदित है कि भारत ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया है और यहाँ केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जाती है। केन्द्रीय योजनाएँ किसी राज्य विशेष कुछ राज्यों या पूरे देश में लागू होती है, जबकि राज्य की योजनाएँ उसके अपने राज्य क्षेत्र में लागू होती है। केन्द्रीय योजनाओं का फायदा राज्यों को मिलता है। बिहार जैसे गरीब, कम संसाधन और अतिसघन आबादी वाले राज्य में केन्द्रीय योजनाओं का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कल्याणकारी योजनाएँ, कम संसाधन, अतिसघन आबादी, अस्पताल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम– जय) की शुरूआत 23 सितम्बर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा झारखण्ड की राजधानी राँची से की गई। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सहायता योजना है। यह पूरी तरह सरकारी वित्त पोषित योजना है। केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 अनुपात में इसमें वित्त पोषण का बटवारा है। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुत इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को मुहैया कराना है जो संपूर्ण देश के आबादी का 40% हिस्सा है। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे पहुँचा देता है।

पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुत उपलब्ध होती है। इस योजना के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को प्रथम दिन से ही शामिल किया जाता है। इस योजना में 1574 प्रक्रियाएँ और 872 पैकेज शामिल है। दवाईयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओटी, आईसीयू शुल्क इत्यादि मुत उपलब्ध है। यह एक पोर्टबल योजना है यानि की लाभार्थी इसका लाभ संपूर्ण देश में किसी भी सार्वजनिक सूचीबद्ध अस्पतालों में उठा सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020–21 के आंकड़ों के अनुसार पीएम जय योजना 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में लागू है, 13.48 करोड़ ई–कार्ड जारी किए गए हैं, 1.55 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं, 7,490 करोड़ के उपचार प्रदान किए गए हैं, 24215 अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं और 1.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने योजना की बेबसाइट पर पंजीकरण करवाया है।

आयुष्मान भारत– जन आरोग्य योजना बिहार में भी लागू है। बिहार जैसे गरीब राज्य और कम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्य के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना को राज्य में लागू किए 4 वर्ष हो गया है। इस योजना के तहत 3.30 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। लगभग 73.20 लाख पात्र लाभार्थियों एवं लगभग 34 लाख परिवारों को गोल्डेन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक 943 अस्पताल जुड़े हैं जिनमें से 571 सरकारी और 334 निजी अस्पताल सम्मिलित है। इन सभी अस्पतालों में भर्ती व डिस्चार्ज के दौरान मरीजों का अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण किया जाता है। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस योजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इस योजना के अन्तर्गत बिहार में किसी निर्धारित पैकेज में सम्मिलित नहीं होने वाले सर्जिकल पैकेज के अन्तर्गत अब मरीज सूचीबद्ध अस्पतालों में पाँच लाख रूपए तक के खर्च वाले ऑपरेशन करा सकेंगे। ये प्रावधान हेल्थ बैनिफिट पैकेज 2.0 के तहत किए गए हैं। इस प्रावधान को 16 सितम्बर 2020 से लागू कर दिया गया है। हेल्थ बैनिफिट पैकेज 2.0 के अनुसार 867 पैकेजों के तहत इलाज की 1574 प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। इससे अधिक संख्या में निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े सकेंगे। आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में तेजी लाने के इन प्रयासों का फायदा बिहार की गरीब और वंचित जनता को होगा।

बिहार अधिक गरीब जनसंख्या वाला और कम स्वास्थ्य सुविधाओं वाला राज्य है। बड़े और गंभीर बीमारियों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था और सुविधाओं की भारी कमी है। राज्य की बड़ी आबादी के अनुपात में अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त नहीं है। राज्य में निजी अस्पताल और डॉक्टर बड़ी मात्रा में हैं लेकिन इनका इलाज काफी खर्चीला होता है, जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी के लिए वहनीय नहीं होता है। अतः अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं के कमी के कारण साधारण बीमारी भी बड़ी और गंभीर हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना इसी का समाधान प्रस्तुत करता है। राज्य में इस योजना के लागू होने से गरीब भी बड़ी और गंभीर बीमारी का इलाज सुविधायुक्त निजी अस्पतालों में करा रहे हैं जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्च के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे पहुँचा देता है जिसमें एक बड़ी संख्या बिहार की होती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन– अरोग्य योजना बिहार में गरीबी कम करने में भी सहायक है। यह बिहार जैसे अत्यधिक गरीबी जनसंख्या वाले राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना से बिहार में वैसे बहुत से लोगों की जान बच रही है जो पैसे के अभाव के कारण इलाज कराने में पहले सक्षम नहीं थे।

आयुष्मान भारत योजना ने कोविड–19 के संकट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 अप्रैल 2020 को पीएम जय के तहत

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

कोविड–19 के लिए परीक्षण और उपचार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस फैसले का फायदा देश के करोड़ों लोगों को हुआ जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी शामिल है सरकारी अस्पतालों के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी कोविड–19 की जाँच और इलाज मुत में उपलब्ध कराए गए। डायलसिस की उपलब्धता को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। कोरोना काल में यह राज्य के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है।

आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने राज्य में व्यापक प्रभाव डाला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे – 5 (2019–20) की रिपोर्ट इसकी गवाही दे रहा है। लिंगानुपात और बीमा कवरेज में व्यापक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार आया है। इस योजना का बिहार पर प्रभाव ऐसे राज्य से तुलनात्मक अध्ययन से और स्पष्ट होगा जहाँ पर यह योजना लागू नहीं की गई है। प० बंगाल में यह योजना लागू नहीं किया गया है और इसकी तुलना पीएम जय लागू करने वाले इसके पड़ोसी राज्य बिहार, सिक्किम और असम से करते हैं। बिहार, असम और सिक्किम बीमा कवरेज या उसका अनुपात 2015–16 से 2019–20 तक में 89% बढ़ गया, जबकि प० बंगाल में इसमें 12% की कमी आयी है। बीमा कवरेज, जन्म के समय लिंगानुपात, विटामीन ए की पुरकता, बच्चे का टीकाकरण, परिवार नियोजन की पद्धतियों, महिलाओं का अस्पतालों में आगमन, बच्चों के बचपन के बीमारियों का इलाज, एचआईवी/एड्स के बारे में ज्ञान, कांडोम का उपयोग आदि में प० बंगाल की तुलना में बिहार, असम और सिक्किम में अधिक सुधार देखी गयी है। यह सुधार पीएम–जय योजना अपनाने से संभव हुआ है। शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट प० बंगाल (20%) की तुलना में बिहार, असम और सिक्किम (28%) के लिए यह गिरावट अधिक थी।

राज्य के मुजफरपुर और उसके पड़ोसी एक दो जिलों में चमकी बुखार से हर साल सैकड़ों बच्चे बेहतर इलाज के अभाव में मर जाते हैं। इसमें से अधिकतर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। यह लाईलाज बिमारी भले ही है लेकिन अगर सही इलाज मिले तो बहुत बच भी सकते हैं । इन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देकर अच्छे निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। इस तरह के बीमारी से गरीबों और आर्थिक रूप से अक्षम लोगों की जान इस योजना के कारण बच सकती है।

इस तरह यह योजना राज्य के गरीबों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं के पूर्ति के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में सहायक है। इससे गरीबी में कमी आती है, कंगाल होने, जमीन बेचने और कर्ज लेने से बच जाते हैं और इलाज से बचे पैसों का इलाज अन्य गतिविधियों में करते हैं जो आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को संभव बनाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जोधका, सुरिन्दर एस०, : ग्रामीण विकास : परिप्रेक्ष्य, नीतियाँ और कार्यक्रम, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ।
2. सिंह, इकबाल : भारत में ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।
3. यादव, सुवह सिंह : ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।
4. सिंह, हरे कृष्ण, : ग्रामीण विकास और साक्षरता, मनीष प्रकाशन रोहित नगर कॉलोनी, बी० राय० यू०, वाराणसी–5.

*****